संख्या:10/2023/601 ई-2/तेरह-2023-399616

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 21 मार्च, 2023

विषयः-मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि., जनपद अलीगढ़ की क्षमता 525 लाख लीटर से बढ़ाकर 630 लाख लीटर किये जाने हेतु विस्तारित होने वाली 105 लाख लीटर वार्षिक क्षमता का 60 प्रतिशत अर्थात् 63 लाख लीटर वार्षिक ई.एन.ए. क्रय कर पेय मदिरा निर्माण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-322/दो-प्रा.डी.-101/वेव डिस्टिलरी, दिनांक 10-03-2023 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 17-03-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-588ई-2/तेरह-2023-399616, दिनांक 18-03-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10-03-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि., जनपद अलीगढ़ की क्षमता 525 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 630 लाख लीटर किये जाने के क्रम में विस्तारित की जाने वाली क्षमता 105 लाख लीटर वार्षिक का 60 प्रतिशत अर्थात् 63 लाख लीटर वार्षिक तक पेय मदिरा निर्माण ई.एन.ए. क्रय कर किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवक द्वारा दो वर्षों में प्लान्ट और मशीनरी की स्थापना करके विस्तारित अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार अल्कोहल/ई.एन.ए. का उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित कर लिया जायेगा, उसमें विफल रहने पर उनकी विस्तारित पेय क्षमता स्वतः स्थगित समझी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

(3) आसवक द्वारा इस निमित्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा।

(4) आसवक द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।